

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबागंगनाथमार्ग/Baba Gangnath Marg
मुनिरका/Munirka, नईदिल्ली/ New Delhi – 110067

File No. 2023/CIC/ ADMN/RTI

Dated: 27th February 2023

To:

Shri Amar Singh,

Mohalla & Post-Jahat
Dist Jhunjhena,
Rajasthan-333103

विषय: RTI No. CICOM/R/P/23/00064, dated 31/01/2023.

श्रीमान जी,

उपरोक्त आर.टी.आई. के सन्दर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक अनुभाग से सम्बंधित सूचना निम्न प्रकार है:

बिन्दु संख्या	सूचना
1-3	Grievance / Complaint No. DOPAT/P/2022/00389 CPGRAM पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जा चुका है तथा एक बार फिर से दोहराया जाता है कि आयोग का निर्णय अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। न तो टिप्पणी की जा सकती है और न ही समीक्षा की जा सकती है। अपीलकर्ता को उचित न्यायिक मंच पर जाने की सलाह दी जाती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार सूचना आयुक्त के खिलाफ शिकायत ई-शिकायत पोर्टल पर दर्ज नहीं की जा सकती है।

यदि आप प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority) को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं।

Mrs. Roop Avtar Kaur

FAA & Additional Secretary

Address: Central Information Commission, Baba Gangnath Marg, Munirka, New Delhi

Phone No.: 011-26162290

o/c



भवदीय

वी. बी. हरिहरन

Consultant (Admn) & CPIO

Copy to:

1. RTI Cell, CIC, New Delhi

1-3-23

